न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 48/2017

राजकुमार पुत्र रामचन्द्र जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 9 सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर । —अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सादुलशहर। —रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.अ. 1956 विरूद्ध आदेश
उपखंड अधिकारी सादुलशहर दिनांक 20.02.2017

उपस्थितिः—

श्री धर्मेन्द्र शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री महावीर धारणीया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 12.06.2018

अपीलार्थी ने यह अपील उपखंड अधिकारी सादुलशहर के पत्र कमांक लेखा/17/363 दिनांक 20.02.2017 के विरूद्ध पेश की है। उक्त पत्र उपखंड अधिकारी सादुलशहर ने तहसीलदार सादुलशहर को महालेखाकार राज0जयपुर द्वारा राजस्व लेखों का निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कलक्टर,श्रीगंगानगर अवधि 4/2013 से 3/2016 की पालना के सम्बन्ध में लिखा है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के नाम से चक 6 एसडीएस के प.न. 77/77 के प.न. 50/125(7) के कि.न. 1,2, 6 से 10, 13 से 17, 24, 25 की 2.316 है. प.न. 49/125(8) के कि.न. 15/1 की 0.113 है0 कुल 2.429 है. कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि का राजस्थान भू—राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजनार्थ (ईंट भट्टा प्रयोजनार्थ) संपरिवर्तन/नियमितीकरण करवाए जाने हेतु अधी. न्यायालय में प्रार्थपत्र पेश करने पर समस्त जांच रिपोर्ट प्राप्त कर, अपीलार्थी द्वारा नियमानुसार समस्त राशि जमा करवा दी। महालेखाकार निरीक्षण जांच दल द्वारा निरीक्षण अवधि 4/2013 से 3/2016 में रूपान्तरण प्रकरणों का

12/6/18

निरीक्षण किया जाकर अपीलांट के खिलाफ 2, 60,800/—रूपये की बकाया राशि निकाली जाकर वसूली पत्र जारी किया गया है। अपीलार्थी को आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। उस समय अपीलार्थी द्वारा नियमानुसार जितनी राशि की मांग की गई थी वह उसके द्वारा जमा करवा दी। अपीलार्थी ने आदेश की जानकारी होने पर, नकल प्राप्त कर, बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि ऐसे आदेश की अपील नहीं हो सकती। महालेखाकार निरीक्षण जांच दल द्वारा निरीक्षण में यह पाया गया कि अपीलार्थी से राशि कम ली गई है जिसे वसूल करने के आदेश देने में अधी. न्यायालय ने कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपीलार्थी ने अपील आदेश दिनांक 20.02.2017 व 22.04.2015 के विरूद्ध दिनांक 12.05.2017 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो. ने प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

सिविल प्रकिया संहित की धारा 96 पठित धारा 104 में किसी डिक्री की अपील हो सकती है या किसी आदेश की अपील हो सकती है। प्रकरण हाजा में उपखंड अधिकारी सादुलशहर के आदेश दिनांक 20.02.2017 की अपील पेश करना जाहिर किया है। वह कोई आदेश न होकर महालेखाकार जयपुर द्वारा राजस्व आय लेखा निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2016 के अनुच्छेद 2 भाग II अ ब भाग II ब के मामलों की पालना में जो ड्राफ्ट पैरा बनाया है उसकी वसूली हेतु जारी तहरीर है जो सन्दर्भ विधि में आदेश न होकर, महालेखाकार द्वारा निकाली गई वसूली को वसूल करने हेतु तहसीलदार को लिखा गया पत्र है जो विधिक प्रावधानुसार आदेश न होकर अपील योग्य नहीं है। गुणावगुण के आधार पर अपीलांट की

14/6/18

सपरिवर्तित भूमि से ज्यादा भूमि का उपयोग ईंट भट्टे के लिए किया गया है यथा चक 4 एसडीएस प.न. 50/125 मु.न. 7 में 10120 वर्गमीटर भूमि का सपरिवर्त ईंट भट्टा के लिये किया गया है जबकि मौके पर 23160 वर्गमीटर भूमि का ईंट भट्टा का उपयोग हो रहा है जो स्वीकृत से 13040 वर्गमीटर ज्यादा का उपयोग होने से इस नियमितिकरण हेतु देय राशि 2,60,800/– रूपये योग्य है।

अतः अपील अपीलांट क्षेत्राधिकार उपखंड अधिकारी के पत्र आदेशहीन होने तथा मौके पर स्वीकृत संपरिवर्तन से ज्यादा कृषि भूमि पर ईंट भट्टे के रूप में उपयोग लेने तथा अधी.न्यायालय की पत्रावली अनुसार वसूली प्रकरण ड्राफ्ट पैरा के रूप में परिणित होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है। साथ ही तहसीलदार सादुलशहर को निर्देशित किया जाता है कि सम्पूर्ण राशि वसूली कर पालना रिपोर्ट 1 माह में इस न्यायालय में पेश करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सादुलशहर को पालनार्थ भेजें।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/6/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर